(सुधीर मित्तल, जे.)

सुधीर मित्तल से पहले, जे.

लक्ष्मण सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

एफ. सी. आई. और अन्य-उत्तरदाता 2013 का

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 27732

14 मई, 2018

भारत का संविधान 1950-भारतीय खाद्य निगम-याचिकाकर्ता और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ बनाए गए आरोप समान थे-भारतीय खाद्य निगम ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उन्हें किया गया नुकसान 10 प्रतिशत था और दूसरे कर्मचारी द्वारा 4 प्रतिशत था-दूसरे कर्मचारी को कम जुर्माना मिला और उसकी अपील को भी अनुमति दी गई और जुर्माना में संशोधन किया गया-हालांकि याचिकाकर्ता को सेवा से खारिज कर दिया गया और उसके सेवानिवृत्ति लाभों को भी जब्त कर लिया गया-आयोजित-अन्य कर्मचारी को जुर्माना लगाने के मामले में तरजीही उपचार दिया गया था।कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए-नए आदेश पारित करने के लिए मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेजा जाना चाहिए।

अभिनिर्धारित है कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता इस आधार पर विवादित आदेश का समर्थन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया नुकसान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किए गए कुल नुकसान का 10 प्रतिशत था, जबकि एस. एस. राणा द्वारा किया गया नुकसान केवल चार प्रतिशत की सीमा तक था।

(पैरा 8)

अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी-भारतीय खाद्य निगम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ एस. एस. राणा के खिलाफ लगाए गए आरोप समान थे।यह भी विवादित नहीं है कि एस. एस. राणा को चावल

के स्टॉक डब्ल्यू. ई. एफ. 30.12.1997 को स्वीकार करने से रोक दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता ने 20.02.1998 तक स्टॉक को स्वीकार करना जारी रखा।इसके बाद भी नुकसान केवल सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण के कारण हुआ।वास्तव में, एस. एस. राणा को प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि घटिया मानकों को स्वीकार करने की शिकायतें थीं।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामला अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है।यदि पट्टेदार को सजा दी जाती है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा की बहाली और निरंतरता का हकदार होगा।मौद्रिक लाभों का भुगतान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा।

(पैरा 10)

कमल गुप्ता, अधिवक्ता, स्पर्श गुप्ता, अधिवक्ता की ओर से

याचिकाकर्ता।

मानव बजाज, अधिवक्ता, सुमित गोयल की ओर से, प्रतिवादी की ओर से।

सुधीर मित्तल, जे। (ORAL)

(1) याचिकाकर्ता को वर्ष 1985 में भारतीय खाद्य निगम में तकनीकी सहायक ग्रेड-III के रूप में नियुक्त किया गया था।उन्हें वर्ष 1992 में तकनीकी सहायक ग्रेड-II के रूप में पदोन्नत किया गया था।वर्ष 1998 में वे भारतीय खाद्य निगम के नारनौल केंद्र में तैनात थे।भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के स्टॉक की लेवी की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31.03.1998 निर्धारित की गई थी और इसे 30.04.1998 तक बढ़ा दिया गया था और विस्तारित तिथि के बारे में सूचना 24.04.1999 पर प्राप्त हुई थी।इसलिए, 25.04.1998 से 28.04.1998 की अवधि के बीच, मिलर ने 71 खेपों को फेंक दिया।याचिकाकर्ता सहित तकनीकी सहायक ग्रेड-I द्वारा इन खेपों का

निरीक्षण किया गया था और इन्हें दिनांक 29.04.1998 के अस्वीकृति ध्यान दें के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया था।हालांकि, एक ओ. पी. गिरधर, जो सहायक प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रण के मार्गदर्शन में तकनीकी सहायक के रूप में भी तैनात थे, ने 01.05.1998 पर सभी 71 खेपों को स्वीकार कर लिया और इनकी तारीख़ 30/04/1998 रखी गई।इसके परिणामस्वरूप एक शिकायत हुई और पुलिस ने गोदाम पर छापा मारा।ओ. पी. गिरधर और अन्य संबंधित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गोदामों को 04.05.1998 पर सील कर दिया गया।

(2) यह भी ध्यान दें योग्य है कि याचिकाकर्ता ने 20.02.1998 तक शेड संख्या 8 में स्टॉक स्वीकार किए।इसके बाद, केवल ओ. पी. गिरधर को नारनौल केंद्र के सभी शेड में स्टॉक प्रतिग्रहण करना करने के लिए अधिकृत किया गया था।

(3) अक्टूबर 1998 में नारनौल केंद्र में स्टॉक के नमूने लिए गए थे और मानक से नीचे पाए गए थे।इस प्रकार, याचिकाकर्ता और नारनौल केंद्र में तैनात अन्य तकनीकी सहायकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।ऐसे ही एक कर्मचारी एस. एस. राणा थे।22.05.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया था और उसके सेवानिवृत्ति लाभ भी जब्त कर लिए गए थे।हालांकि, एस. एस. राणा के मामले में केवल टी. ए. ग्रेड-II के पद पर वापसी का आदेश दिया गया था और वेतन तकनीकी और अन्य को देय पैमाने के न्यूनतम स्तर सहायक ग्रेड-II पर तय किया गया था।

797

लैक्समैन सिंह बनाम एफ. सी. आई.

(सुधीर मित्तल, जे.)

(4) याचिकाकर्ता ने अपील के माध्यम से उस पर लगाए गए जुर्माने को इस आधार पर चुनौती दी कि वह एस. एस. राणा के समान स्थित था और वही आरोप उसके खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन जुर्माने के मामले अन्य बातों के साथ साथ उस पर बहुत कम जुर्माना लगाया गया था।याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गई।हालाँकि, एस. एस. राणा के मामले में, अपील को स्वीकार कर लिया गया और दंड को और संशोधित कर दिया गया।प्रत्यावर्तन के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था और यह निर्देश दिया गया था कि वह बिना संचयी प्रभाव के 3 साल के लिए तकनीकी सहायक ग्रेड-III को देय न्यूनतम वेतनमान का लाभ उठाएगा।याचिकाकर्ता ने सेवा नियमों के अनुसार समीक्षा को प्राथमिकता दी और समीक्षा प्राधिकरण की टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया हैः-

"अधोहस्ताक्षरकर्ता ने समीक्षा याचिका और मामले के अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को सावधानीपूर्वक देखा है और पाया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई प्रमुख दंड कार्यवाही में, 1998 के दौरान बीजी नरवाना में बीआरएल चावल की स्वीकृति, अभिलेखों का रखरखाव न करने और कर्तव्य द्वारा अनुपस्थित रहने के आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं।जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर स्टॉक स्वीकार नहीं करने के आरोप की पुष्टि की है, निगम को बदनाम करने और वित्तीय नुकसान के आरोप को आंशिक रूप से साबित किया है।प्रासंगिक रिकॉर्ड नहीं रखने और संयुक्त नमूने लेने के दौरान कर्तव्य से फरार होने का आरोप साबित नहीं हुआ है।इसी तरह, असहयोग का आरोप भी साबित नहीं हुआ।जैसा कि जाँच अधिकारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है, चावल की बड़ी मात्रा श्री ओ. पी. गिरधर, टी. ए. आई. द्वारा खरीदी गई थी और जाँच अधिकारी ने रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि "सी. ओ. के खिलाफ अनुच्छेद-1 के आरोप को साबित करने के लिए बड़ा हिस्सा श्री ओ. पी. गिरधर और सी. ओ. के पास है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यह भी पाया कि दंड लगाने में कोई समानता नहीं दिखाई देती है क्योंकि सह-अभियुक्त श्री एस. एस. राणा, टी. ए. आई. के मामले में सभी आरोप साबित हो गए हैं, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने "टी. ए. आई. के पद से TA.II में परिवर्तन" का जुर्माना लगाया है।जहां तक वर्तमान समीक्षा याचिका का संबंध है, आरोपों के 5 अनुच्छेदों में से अधिकांश आरोप जांच में साबित नहीं हुए हैं और आरोप ज्ञापन में निगम को हुए नुकसान की मात्रा नहीं दी गई है, बल्कि इसे अनुमान पर भारी नुकसान कहा जाता हैं।

मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, मैं "बर्खास्तगी के जुर्माने को आगे के निर्देशों के साथ निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं कि हालांकि पूरे नुकसान की भरपाई सी. ओ. से नहीं की जा सकती है, लेकिन सी. ओ. की ग्रेच्युटी को अवकाश नकदीकरण के साथ-साथ ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 की खंड 4, उप-खंड 6 (ए) के प्रावधानों के तहत जब्त करने का आदेश दिया जाता है और सी. पी. एफ. के लिए नियोक्ता के योगदान और उस पर ब्याज को भी जब्त करने का आदेश दिया जाता है, यदि अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा लागू अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निर्देशों/कानून और अन्य शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

(5) नतीजतन, मामला अनुशासनात्मक प्राधिकरण को भेज दिया गया, जिसने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से भविष्य निधि को जब्त न करने के संशोधन के साथ मूल दंड को बरकरार रखा।याचिकाकर्ता की अपील और समीक्षा आवेदन को भी खारिज कर दिया गया है।

(6) प्रतिवादी की ओर से लिखित बयान दायर किया गया है और तथ्यात्मक पहलू विवादित नहीं हैं।

(7) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एस. एस. राणा के साथ समान व्यवहार का हकदार था क्योंकि कथित रूप से उसके द्वारा किया गया अपराध समान गंभीरता का था।एस. एस. राणा को तरजीही उपचार दिया गया है जिसकी कानून में अनुमति नहीं है।इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण ने मुकदमेबाजी के दूसरे दौर में, समीक्षा प्राधिकरण के आदेश को गलत तरीके से पढ़ा है और इस प्रकार अपीलीय आदेश के साथ-साथ समीक्षा प्राधिकरण का आदेश भी दिमाग का उपयोग न करने से ग्रस्त है।

(8) प्रतिवादी के विद्वान वकील इस आधार पर विवादित आदेश का समर्थन करते हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया नुकसान भारतीय खाद्य निगम को हुए कुल नुकसान का 10 प्रतिशत था, जबकि एस. एस. राणा द्वारा किया गया नुकसान केवल चार प्रतिशत की सीमा तक था।

(9) प्रत्यर्थी-भारतीय खाद्य निगम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ एस. एस. राणा के खिलाफ लगाए गए आरोप समान थे।यह भी विवादित नहीं है कि एस. एस. राणा दिनांक 30.12.1997 चावल के स्टॉक को स्वीकार करने से रोक दिया गया,

जबकि याचिकाकर्ता ने 20.02.1998 तक स्टॉक को स्वीकार करना जारी रखा।इसके बाद भी नुकसान केवल सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण के कारण हुआ।वास्तव में, एस. एस. राणा को प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि घटिया गुणवत्ता वाले चावल की स्वीकृति की शिकायतें

थीं।इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि एस. एस. राणा को तरजीही उपचार दिया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण सामने नहीं आया है।जुर्माना लगाने के मामले में कर्मचारियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए।

(10) नतीजतन, याचिका की अनुमति दी जाती है और अपील न्यायालय, अनुशासनात्मक प्राधिकरण और समीक्षा प्राधिकरण द्वारा क्रमशः पारित किए गए 30.05.2009/2.6.2009, (अनुलग्नक पी-10) 18.11.2011 (अनुलग्नक पी-12) और 21.5.2013 (अनुलग्नक पी-14) के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है।याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए मामले को अनुशासन प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाता है।यदि पट्टेदार को सजा दी जाती है तो याचिकाकर्ता कानून के अनुसार सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा की बहाली और निरंतरता का हकदार होगा।मौद्रिक लाभों का भुगतान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा।

(11) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य किया जाएगा।

—----------

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए इसका उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक

दिव्या रानी